

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०,प्रधान कार्यालय—लखनऊ

परिपत्रांक सी-20

/लेखा-1/17-18

दिनांक 05.05.2017

समस्त शाखा प्रबंधक

उ०प्र०सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०,

उत्तर प्रदेश।

विषय:—“बाडी इंजरी बीमा” के अर्न्तगत बैंक कार्मिकों की सूचना।

बैंक द्वारा दिनांक 22.04.2017 से 21.04.2018 तक की अवधि हेतु आकस्मिक खतरों से बचाव के लिये सामान्य बीमा का नवीनीकरण कराया गया है। सामान्य बीमा में ‘बाडी इंजरी बीमा’ के अर्न्तगत प्रत्येक शाखा के कैशियर सहित एक अन्य बैंक कर्मी जो कैश लाने— ले जाने के कार्य में सहायता करता है, का बीमा कराया जाता है। इस हेतु बीमा कम्पनी द्वारा निम्न प्रारूप पर सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है:—

क्र०सं०	कैशियर/सहायक बैंक कर्मी का नाम	पद	जन्म तिथि
1			

इस सम्बंध में आपसे अपेक्षित है कि अपनी शाखा से सम्बंधित सूचना मण्डलीय शाखा को आज ही फोन के माध्यम से नोट करा दें। मण्डलीय शाखा द्वारा मण्डल की संकलित सूचना दिनांक 08.05.2017 को निम्न ई—मेल पर प्रेषित की जायेगी।

dgmac1.upsgvb@ yahoo.in

ह०/—

(ए०के०शुक्ला)

महाप्रबन्धक

प्रतिलिपि:—

1. समस्त मण्डलीय शाखा प्रबंधक,उ०प्र०सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०,को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संकलित सूचना दिनांक 08.05.2017 तक प्रधान कार्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें
2. प्रबंधक श्रेणी-2(IT Cell)उ०प्र०सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०,प्रधान कार्यालय लखनऊ को ई—मेल के माध्यम से प्रेषित करने हेतु।

ह०/—

महाप्रबंधक